



जगद्गुरुरामानन्दाचार्यराजस्थानसंस्कृतविश्वविद्यालय जयपुर

राष्ट्रीय-अन्ताराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय प्राचीन परम्परा से शास्त्री-आचार्य एवं विभिन्न शोध उपाधि देने एवं योग्यतम छात्रों को तैयार करने तथा व्यक्तित्व एवं कौशल का समग्र विकास करने के साथ-साथ अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान कराने वाला राजस्थान प्रदेश का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो राजस्थान सरकार एवं ब्रह्मपीठाधीश्वर सन्त शिरोमणि श्री श्री 1008 श्रीनारायणदासजी महाराज के शुभाशीर्वाद एवं उनकी छत्र-छाया में जयपुर में स्थापित है। इस विश्वविद्यालय की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं, जिससे यह विश्वविद्यालय बालक-बालिकाओं का जीवन पूर्ण सार्थक एवं उज्ज्वल भविष्य बनाने वाला है -

इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1988 में राजस्थान सरकार द्वारा की गई एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसे 12-बी की धारा में मान्यता प्राप्त हुई। राज्य सरकार के द्वारा इस विश्वविद्यालय हेतु ग्राम मदाऊ में 316 बीघा भूमि आवंटित की गई, जिसमें महाराज श्री नारायणदासजी के आशीर्वाद से भारतीय वास्तुशास्त्र एवं वास्तुकला के आधार पर भव्य भवनों का निर्माण किया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में वेद, वेदांग एवं संस्कृत विषय की विभिन्न धाराओं के अध्ययन-अध्यापन एवं अनुसंधान हेतु पृथक से शैक्षणिक संकाय, अनुसंधान केन्द्र एवं समृद्ध पुस्तकालय है। आठ शोध-पीठ इस विश्वविद्यालय के विशेष अलंकार हैं, जिन पर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान अपने ज्ञान से संस्कृत-जगत को लाभान्वित करते आये हैं और आगे भी करते रहेंगे।

विश्वविद्यालय में तीन भव्य छात्रावास हैं, जिनमें दो छात्रों एवं एक छात्राओं के लिये है। राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से इस वर्ष जीर्णशीर्ण हुये छात्रावासों की मरम्मत का कार्य करीब-करीब पूर्ण होने जा रहा है। पूर्ण सुविधाओं से युक्त इन छात्रावासों में पौष्टिक भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। वेद, साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि के शास्त्री, आचार्य एवं संयुक्ताचार्य की उपाधि के साथ योग विषय में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, तीन माह का सर्टिफिकेट कोर्स, योग विज्ञान शास्त्री (बी.ए./बी.एस.सी.) योग विज्ञान आचार्य (एम.ए./एम.एस.सी.) आदि उपाधियों हेतु भी इस विश्वविद्यालय में अध्ययन-अध्यापन की विशेष व्यवस्था राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान शिक्षकों के माध्यम से की गई है। स्नातकोत्तर उपाधि के बाद विशेष अनुसंधान हेतु विद्यानिधि (एम.फिल.), विद्यावारिधि (पीएच.डी.) हेतु भी छात्र यहां पंजीकृत हैं।

परम्परागत ज्ञान के साथ आजकल विभिन्न प्रतियोगी-परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, कम्प्यूटर-अनुप्रयोग जैसे आधुनिक विषयों के अध्ययन-अध्यापन की भी इस विश्वविद्यालय में व्यवस्था है। ज्योतिष वास्तु, कम्प्यूटर पौरोहित्य एवं योग विषयों में प्रमाण-पत्र कोर्स चलाये जा रहे हैं। छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुये शारीरिक स्वास्थ्य हेतु इस विश्वविद्यालय में एक विशाल क्रीड़ा-स्थल का निर्माण किया जा रहा है। मेधावी एवं दिव्यांग छात्रों के लिये निःशुल्क अध्ययन की सुविधा है।

माननीयी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी की प्रेरणा से राज्य सरकार द्वारा 1200 व्यक्तियों की क्षमता वाले ओपन एयर थियेटर का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से एक विशाल योग साधना केन्द्र का निर्माण भी शीघ्र प्रारम्भ होने जा रहा है, जो राजस्थान में पहला केन्द्र होगा।

राजस्थान मन्त्र प्रतिष्ठान के लिये एक विशाल भवन का निर्माण शीर्घ्र होने जा रहा है जिसमें प्राचीन वैदिक एवं पौराणिक मन्त्रों, अनुष्ठान आदि के प्रयोग एवं प्रभावों का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन एवं अनुसंधान किये जाने का प्रावधान होगा। विश्वविद्यालय में अध्यापकों व कर्मचारियों के लिये पर्याप्त आवासीय सुविधा है। अतिथियों के लिये अतिथि-निवास एवं चिकित्सा हेतु राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय विश्वविद्यालय में स्थित है। सभी सुविधाओं से युक्त देश के प्रतिष्ठित इस विश्वविद्यालय में नवागन्तुक छात्रों का हार्दिक अभिनन्दन एवं स्वागत है। आशा है नवागन्तुक छात्र गुरुकुल स्वरूप विश्वविद्यालय के भव्य प्रांगण में ज्ञान प्राप्त कर जीवन को सार्थक बनाएंगे।

पुनः नये सत्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन के साथ।

(प्रो. विनोद शास्त्री)
कुलपति



विश्वविद्यालयीय शैक्षणिक परिसर





विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	विश्वविद्यालय स्थापना	01
2.	विश्वविद्यालय परिसर	01
3.	विश्वविद्यालय में स्थापित अनुसन्धानपीठ	01
4.	विश्वविद्यालय का अनुसन्धानकेन्द्र तथा अनुसन्धान	02
5.	विश्वविद्यालय के छः संकाय	03
6.	विश्वविद्यालय की उपाधियां	03
7.	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय	03
8.	विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययन-अध्यापन	03
9.	परिसर में सुविधाएं	05
10.	विश्वविद्यालय परिसर में पाठ्यक्रम, स्थान (सीटें) एवं प्रवेश-योग्यता	07
11.	अन्य पाठ्यक्रम	08
12.	प्रवेश नियम	09
13.	प्रवेश शुल्क विवरण	12
14.	आवेदन पत्र प्राप्ति और जमा-स्थान	14
15.	प्रवेश-व्यवस्था	15
16.	शैक्षणिक-पंचांग	16
17.	सम्पर्कसूत्र	17
18.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और शिक्षक वर्ग	18
19.	रैगिंग शपथ पत्र का प्रारूप	20
20.	छात्रावास में प्रवेश हेतु शपथ पत्र का प्रारूप	20





विशेष सूचना

1. विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र प्रवेश सूचना के प्रकाशन के पश्चात् विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.jrrsanskrituniversity.ac.in से रुपये 250/- में प्रवेशावेदन प्राप्त कर सकते हैं तथा नगद राशि रुपये 200/- चालान द्वारा जमा कर विश्वविद्यालय परिसर से प्रवेशावेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
2. जिन छात्रों के कक्षा 12 संस्कृत सहित / वरिष्ठ उपाध्याय / उत्तर मध्यमा / तत्समकक्ष परीक्षा / शास्त्री / बी. ए. में 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक हो, वे आवेदन पत्र पूर्ति के साथ ही प्रवेश शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करा सकेंगे।
3. प्रवेशार्थी छात्र प्रवेश आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़े तथा उसमें दिए गए प्रमाण पत्रों तथा शपथ पत्रों को यथानियम पूरित कर आवेदन पत्र के साथ जमा करायें।
4. छात्र को प्रवेश शुल्क की रसीद अपने प्रवेशावेदन पत्र में संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें प्रविष्ट नहीं माना जाएगा।
5. प्रवेश शुल्क निर्धारित चालान द्वारा प्रतिदिन कार्यादिवसों में विश्वविद्यालय परिसर में स्थित इलाहाबाद बैंक में दिन में 2.00 बजे तक (प्रति माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार अवकाश के अतिरिक्त) जमा कराया जा सकेगा।
6. बैंक समय पश्चात् नगद राशि विश्वविद्यालय की लेखाशाखा में दश रुपये विशेष शुल्क के साथ जमा करवाई जा सकती हैं।
7. प्रत्येक विद्यार्थी सभी प्रकार के शुल्क बैंक में चालान जमा कराने की तिथि से तीन दिवस तक (अवकाश छोड़कर) कार्यालय में जमा करा सकेंगे। इसके पश्चात् चालान मान्य नहीं होगा।





भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत के सर्वतोमुखी विकास में सतत प्रयासरत शिक्षण संस्थान

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

1. विश्वविद्यालय स्थापना

सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मय के सांगोपांग अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ उसमे निहित ज्ञान-विज्ञान को सतत विशेषज्ञीय अनुसंधान द्वारा प्रकाश में लाने, संस्कृत का अद्यतन विज्ञान के साथ शोधपरक विश्लेषण कर प्रायोगिक रूप से समाजोपयोगी बनाने, वैदिक वाङ्मय में अन्तर्निहित लौचिक-अलौकिक तथा पारलौकिक विशिष्ट विज्ञान का अनुसंधानपरक वैज्ञानिक विधियों से व्यावहारिक रूप में प्रस्तुतीकरण करने एवं संस्कृत शिक्षा को नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान-संस्कृत-विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 पारित कर राजस्थान सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की है। दिनांक 6 फरवरी 2001 को राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का विधिवत् शुभारम्भ हुआ जिसके प्रथम कुलपति पद्मश्री डॉ. मण्डन मिश्र थे। वर्तमान में दिनांक 14.02.2015 से प्रो. विनोद कुमार शर्मा कुलपति पद को अलंकृत कर रहे हैं।



2. विश्वविद्यालय परिसर

राज्य सरकार द्वारा 79.55 हैक्टर, (लगभग 316 बीघा) भूमि संस्कृत विश्वविद्यालय को आवंटित की गई है। विश्वविद्यालय को प्रातःस्मरणीय ब्रह्मपीठाधीश्वर संतशिरोमणि श्री नारायणदास जी महाराज त्रिवेणी धाम का सतत शुभाशीर्वाद एवं वरदहस्त प्राप्त है। उन्हीं की शुभ संकल्पना से 17 अप्रैल 2003 को तात्कालिक महामहिम राज्यपाल श्री अंशुमान सिंह, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत तथा तात्कालिक उपमुख्यमंत्री एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉ. श्रीमती कमला के अलावा सन्त महात्माओं और अनेक विशिष्ट नागरिकों की उपस्थिति में जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय भवनों की आधारशिला रखी गई। महाराज श्री सन्तशिरोमणि 1008 नारायणदास जी के आशीर्वाद से जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति के द्वारा अत्यल्पावधि में ही प्रथम चरण के भव्य भवनों का निर्माणकार्य पूर्ण हुआ है। जिसमें प्रशासनिक भवन, 6 संकाय भवन, पुस्तकालय भवन, अनुसंधान भवन, कुलपति आवास, कुलसचिव आवास, 8 विशिष्ट आवास, छात्र व छात्राओं के विशाल छात्रावास, वार्डन आवास, अतिथि गृह, अधिकारी व कर्मचारी आवास, सुपर मार्केट, बैंक व पोस्ट ऑफिस, कैटीन आदि शामिल हैं जो भारतीय, विशेषतः जयपुर वास्तुकला के अनुरूप बनाये गये हैं।

इस संस्कृत विश्वविद्यालय का दिनांक 11 सितम्बर 2005 से 14 सितम्बर 2005 तक सम्पन्न अत्यन्त भव्य भवन लोकार्पणसमारोह संस्कृत जगत् के लिए चिरकाल तक स्मरणीय रहेगा, जिसमें सम्पूर्ण भारतवर्ष के सन्त-महात्माओं, महापुरुषों, विशिष्ट विद्वानों, जगद्गुरुओं एवं तात्कालिक महामहिम राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल, तात्कालिक माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे, तात्कालिक शिक्षामंत्री श्री घनश्याम तिवाड़ी, तात्कालिक संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री श्री वासुदेव देवनानी जैसे विशिष्ट अतिथियों एवं अपार जनसमूह की उपस्थिति में दिनांक 14 सितम्बर 2005 को सन्त शिरोमणि 1008 श्री नारायणदास जी महाराज के सान्निध्य में तात्कालिक महामहिम उपराष्ट्रपति श्री भैरोंसिंह शेखावत ने लोकार्पण शिलापट्ट का अनावरण कर विश्वविद्यालय परिसर का औपचारिक शुभारम्भ किया।

विश्वविद्यालय परिसर में अत्यन्त विस्तृत खेल मैदान हैं। हॉकी, फुटबाल, टेनिस, बास्केटबाल, हैण्डबाल के लिए वांछित सुविधाओं से युक्त स्थलों के निर्माण के साथ-साथ क्रिकेट पिच जैसी आधुनिक क्रीड़ा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालय प्रगति सोपान के अन्तर्गत राज्यसरकार से प्राप्त अनुदान से दो नये भवन सेमिनार (सभा-कक्ष) भवन एवं योग-साधना केन्द्र का निर्माण हो चुका है।

3. विश्वविद्यालय में संस्थापित अनुसंधान पीठ

आज संस्कृत विश्वविद्यालय अपने परिसर में विधिवत् संचालित है जिसमें संयुक्ताचार्य, आचार्य, एम.फिल, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, विद्यावारिधि जैसी उपाधियों के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था के साथ-साथ गहन अनुसंधान एवं शोध को गति और दिशा देने के उद्देश्य से वेद, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष आदि विभिन्न शास्त्रीय विषयों के लिए आठ शोध पीठों की स्थापना की गई है। जिनके अध्यक्ष पद पर नियुक्त संस्कृत जगत् के विश्रुत विद्वानों का मार्गदर्शन प्राप्त होता है।



4. विश्वविद्यालय का अनुसन्धान केन्द्र तथा अनुसन्धान

संस्कृत वाङ्मय के विभिन्न विषयों एवं विधाओं में उच्चस्तरीय अनुसन्धान तथा दुर्लभ पाण्डुलिपियों के संग्रहण, संरक्षण, संपादन और प्रकाशन इस अनुसन्धान केन्द्र के प्रमुख कार्य हैं। इस अनुसन्धान केन्द्र के द्वारा लगभग डेढ़ हजार दुर्लभ पाण्डुलिपियों का संग्रह किया गया है तथा संप्रति अनुसन्धान केन्द्र में वेद वेदांग, साहित्य, धर्मशास्त्र एवं दर्शन के विविध अप्रकाशित ग्रन्थों की पाण्डुलिपियों विद्वानों द्वारा शोध कार्य किया जा रहा है। अभी तक 17 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है।

अनुसन्धान केन्द्र में पीठों के नाम -

- | | |
|--|--|
| 1. महामहोपाध्याय गिरिधरशर्मा चतुर्वेद व्याकरणपीठ | 2. पं. नित्यानन्द शास्त्री आधुनिक संस्कृतपीठ |
| 3. भट्ट मधुरानाथ शास्त्री (साहित्य) पीठ | 4. वेद वाचस्पति मधुसूदन ओझा वेदवेदांग पीठ |
| 5. श्रीरामानन्दाचार्य वेदान्त पीठ | 6. महाकवि ज्ञानसागर जैन-दर्शन पीठ |
| 7. सवाईजयसिंह ज्योतिर्विज्ञानपीठ | 8. महामहोपाध्यायपट्टाभिरामशास्त्री मीमांसा पीठ |

4.1 विश्वविद्यालय की प्रवृत्तियाँ

(क) संस्कृत प्रदर्शनी

संस्कृत वाङ्मय में अन्तर्रिहित तत्त्वों के प्रचार के लिए संस्कृत प्रदर्शनी आयोजित की गई है जिसमें विविध शास्त्रीय विषयों से सम्बन्धित 450 चित्रों का संग्रह किया गया है।

(ख) ज्योतिष प्रयोगशाला

विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के छात्रों को प्रायोगिक कराने हेतु ज्योतिष प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। जो टेलिस्कोप, स्काई स्काउट, कम्प्यूटर, ध्रुवयन्त्र, शंकुयन्त्र, प्रोजेक्टर तथा अनेक तरह के अत्याधुनिक यंत्रों से सुसज्जित है।

(ग) संगोष्ठी / कार्यशाला

विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉ. मण्डन मिश्र की स्मृति में डॉ. मण्डन मिश्र विशिष्ट व्याख्यानमाला प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है तथा पुनर्शर्यापाठ्यक्रम, अनुवाद कार्यशाला एवं दर्शन, वेद, ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण इत्यादि विषयों पर राष्ट्रीय अन्ताराष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिनमें भारतवर्ष के ही नहीं अपितु अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों से भी ख्याति प्राप्त विद्वान् भाग लेते हैं।

5. विश्वविद्यालय का योग साधना केन्द्र

शिक्षा सत्र 2015-16 से विश्वविद्यालय में विश्व योग दिवस के अवसर पर योग साधना केन्द्र का शुभारम्भ हुआ। योग के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा एक वर्षीय पी.जी. योग डिप्लोमा तथा त्रैमासिक योग प्रमाण पत्र, योग विज्ञान शास्त्री, योग विज्ञान आचार्य आदि पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये।

6. विश्वविद्यालय के छः संकाय

- वेद-वेदांग संकाय
- श्रमणविद्यासंकाय
- दर्शनसंकाय
- आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय
- साहित्य एवं संस्कृति संकाय
- शिक्षासंकाय

7. विश्वविद्यालय की उपाधियाँ

- शास्त्री (स्नातक)
- शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)
- योगविज्ञानआचार्य (M.Sc./M.A.)
- विद्यावाचस्पति (डी.लिट.)
- अन्य - वास्तु एवं ज्योतिष विषय में प्रमाण पत्र, उपाख्य प्रमाण पत्र, विशिष्ट उपाख्य प्रमाणपत्र, कर्मकाण्ड एवं पौरोहित्य डिप्लोमा, पी.जी.डी.सी.ए., पी.जी. योग डिप्लोमा तथा योग में प्रमाणपत्र, संस्कृत प्रमाणपत्र।
- आचार्य (स्नातकोत्तर)
- शिक्षा-आचार्य (एम.एड.)
- विद्यानिधि (एम.फिल.)
- संयुक्ताचार्य (स्नातक + स्नातकोत्तर)
- योगविज्ञानशास्त्री (B.Sc./B.A.)
- विद्यावारिधि (पीएच.डी.)



8. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/अनुसंधान केन्द्र -

विभिन्न स्तरों पर इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 124 संस्थान राज्य के विभिन्न अंचलों में हैं।

- आचार्य स्तर 22 (12 राजकीय, 10 अराजकीय)
 - शास्त्री स्तर 31 (20 राजकीय, 11 अराजकीय)
 - शिक्षाशास्त्री 67 (सभी अराजकीय)
 - अनुसंधान केन्द्र 04 (अराजकीय)

9. विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययन तथा अध्यापन

9.1 पाठ्यक्रम

(क) संयुक्ताचार्य (पंचवर्षीय संयुक्त पाठ्यक्रम) (Integrated five years Master Degree)

संयुक्ताचार्य पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वरिष्ठोपाध्याय या उनके समकक्ष उपाधिधारी छात्र प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर आचार्यपर्यन्त सेमेस्टर पद्धति में अध्ययन कर सकते हैं। जिसके फलस्वरूप उसे आचार्य उपाधि प्रदान की जाएगी। छात्र तीन वर्ष अध्ययन के पश्चात् आगे अध्ययन न करना चाहे तो उसे शास्त्री की उपाधि प्रदान की जाएगी इसी प्रकार त्रैवार्षिक शास्त्री उपाधिधारक छात्र आचार्य प्रथम वर्ष-प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पात्र होगा। शास्त्री स्तर तक कुल 6 सेमेस्टर एवं निरन्तर आचार्य पर्यन्त कुल 10 सेमेस्टर होंगे।

9.2 अध्यापन विषय –

अनिवार्य विषय – हिन्दी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन एवं प्रारम्भिक कम्प्यूटर

वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद), पौरोहित्य तथा धर्मशास्त्र, नव्यव्याकरण, साहित्य, पुराणेतिहास, ज्योतिष (गणित ज्योतिष एवं फलित ज्योतिष), सामान्यदर्शन, न्याय, शांकरवेदान्त, पूर्वमीमांसा, रामानन्ददर्शन, रामानुजदर्शन, तुलनात्मक दर्शन, द्वैतवेदान्त, विशिष्टाद्वैत, जैन दर्शन।

वर्ग (3) वैकल्पिक आधुनिक विषय

(ख) आचार्य (M.A.) सेमेस्टर पद्धति -

आचार्य (पंचवर्षीय संयुक्त पाठ्यक्रम) के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में द्विवर्षीय आचार्य पाठ्यक्रम में भी छात्र प्रवेश ले सकते हैं।

आचार्य प्रथम वर्ष : आचार्य प्रथम वर्ष में कुल दो सेमेस्टर होंगे, जिसमें कुल चार प्रश्न पत्र होंगे :- प्रथम दो पत्र सभी विषयों के छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। शेष दो पत्र छात्र द्वारा चयनित वैकल्पिक विषय/शास्त्र से सम्बन्धित होंगे।

अनिवार्य प्रथम पत्र : वैदिक साहित्य एवं तुलनात्मक भाषाविज्ञान।

अनिवार्य द्वितीय पत्र : संस्कृत साहित्य का इतिहास-ऐतिहासिक काव्य एवं शिलालेख

वैकल्पिक विषय : वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद), पौरोहित्य, धर्मशास्त्र, नव्यव्याकरण, साहित्य, पुराणेतिहास, ज्योतिष (गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष), सामान्यदर्शन, न्याय, शांकरवेदान्त, पूर्वमीमांसा, रामानुजदर्शन, रामानन्ददर्शन, द्वैतवेदान्त, तुलनात्मक दर्शन, जैन दर्शन।

आचार्य द्वितीय वर्ष : आचार्य द्वितीय वर्ष के दो सेमेस्टर जिसमें प्रत्येक सेमेस्टर में पांच पत्र होंगे जिसमें प्रथम पत्र सभी के लिए अनिवार्य होगा। शेष चार पत्र स्वस्वविषयक होंगे।

अनिवार्य प्रथम पत्र : भारतीय धर्म एवं दर्शन।

वैकल्पिक विषय : आचार्य प्रथम वर्षवत् समस्त शास्त्रीय विषय।



(ग) शिक्षा शास्त्री (B.Ed.) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षाशास्त्री के लिए एक सौ स्थान उपलब्ध हैं। भविष्य में और स्थानों का निर्धारण राज्यसरकार के नोट व विश्वविद्यालय प्रशासन के दिशानिर्देशानुसार होगा। इसकी समस्त प्रवेश प्रक्रिया पी.एस.एस.टी. के माध्यम से पृथक् रूप से संचालित होती है।

(घ) शिक्षाचार्य (M.Ed.) द्विवर्षीय सेमेस्टर पद्धति

शिक्षाचार्य (एम.एड.) के लिए नियम / उपनियम पृथक् रूप में प्राप्त किये जा सकते हैं। इसकी प्रवेश प्रक्रिया भी पृथक् से प्रवेश पूर्व परीक्षा आयोजित कर संचालित होती है।

(ङ) विद्यानिधि (M.Phil.)

आचार्य / एम. ए. 'संस्कृत' परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र एम.फिल. में प्रवेश ले सकेंगे इसमें प्रवेश पृथक् प्रवेश परीक्षा द्वारा होगा। प्रवेश परीक्षा हेतु स्नातकोत्तर कक्षा में 55 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य हैं।

नोट - शिक्षाशास्त्र विषय हेतु शिक्षाचार्य / तत्समकक्ष परीक्षा में 55 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।

(च) विद्यावारिधि (Ph.D.)

संस्कृत विश्वविद्यालय विद्यावारिधि की उपाधि प्रदान करता है जिसके लिए नियमित एवं स्वतन्त्र सभी प्रकार के छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा आवश्यक है। विद्यावारिधि प्रवेश पात्रता परीक्षा प्रतिवर्ष दो बार आयोजित की जाती है।

(छ) प्रातःकालीन पाठ्यक्रम –

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा इन योग | 2. त्रैमासिक प्रमाण पत्र इन योग |
| 3. योगविज्ञानशास्त्री (बी.एससी./बी.ए.) | 4. योगविज्ञानआचार्य (एम.एससी./एम.ए.) |

(ज) सायंकालीन पाठ्यक्रम –

1. एक वर्षीय डिप्लोमा ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र प्रमाणपत्र,
2. एक वर्षीय डिप्लोमा ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र उपाख्य प्रमाणपत्र (Diploma)
3. एक वर्षीय डिप्लोमा ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र विशिष्ट उपाख्य प्रमाणपत्र
4. एक वर्षीय पौरोहित्य एवं कर्मकाण्ड का डिप्लोमा
5. एक वर्षीय डिप्लोमा पी.जी.डी.सी.ए.
6. त्रैमासिक संस्कृत डिप्लोमा पाठ्यक्रम

9.3 विश्वविद्यालय में प्रविष्ट छात्रों के लिए अन्य शैक्षणिक विकल्प

स्नातक कक्षा में मुख्य विषय के साथ एक अतिरिक्त विषय में परीक्षा

विश्वविद्यालय में या सम्बद्ध महाविद्यालयों में शास्त्री अथवा संयुक्ताचार्य के प्रथम छः सेमेस्टरों में अध्ययनरत छात्र किसी एक और आधुनिक या शास्त्रीय विषयविशेष में भी परीक्षा दे सकता है, जिसमें प्रायोगिक न हो। यह परीक्षा अलग से होगी और उसका शुल्क भी अलग से लिया जायेगा। लेकिन उस विषय में वह स्वयंपाठी होगा।

9.4 अध्यापन माध्यम

संस्कृत विषयों के अध्ययन-अध्यापन का माध्यम संस्कृत ही होगा।

9.5 छात्र संघ

लिंगदोह समिति की अभिशंसा के नियमानुसार तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप निश्चित तिथि में छात्रसंघ निर्वाचन सम्पन्न होगा।



10. परिसर में सुविधाएं

10.1 (क) पुस्तकालय

विश्वविद्यालय परिसर में श्रीअग्रदेवाचार्य भवन में सुसज्जित एवं समृद्ध ग्रन्थालय है। संस्कृत वाङ्मय के सांगोपांग अध्ययन-अध्यापन और प्रशिक्षण में सहायता के लिए वर्तमान में इस ग्रन्थालय में लगभग 41,249 ग्रन्थों का संग्रह, विभिन्न विषयों के 358 शोध प्रबन्ध एवं 498 आडियो-वीडियो प्रबन्ध है। विभिन्न विषयों के लघुशोध एवं संस्कृत शोध पत्रिकाओं के 1800 पुराने अंक उपयोगार्थ संग्रहीत है। ग्रन्थालय में 89 पत्र पत्रिकाएं भी नियमित रूप से प्राप्त हो रही है। ग्रन्थालय में वेद, धर्मशास्त्र, वेद विज्ञान, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, शिक्षा तथा कोष इत्यादि विषयों पर देश विदेश में प्रकाशित महत्वपूर्ण ग्रन्थों का संग्रह है। संस्कृत वाङ्मय के अन्तर्गत प्रकाशित दुर्लभ ग्रन्थों तथा अप्रकाशित पाण्डुलिपियों के संग्रह करने के लिए प्रयास जारी है। संगृहीत ग्रन्थों में से 20,067 पुस्तकों का कम्प्यूटराईज्ड डेटाबेस तैयार किया गया है जिससे पुस्तकालय में उपलब्ध संस्कृत वाङ्मय को पाठक तक संस्कृत के अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही शिक्षा संकाय में भी एक विभागीय ग्रन्थालय बनाया गया है, जिसमें शिक्षा आचार्य व शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम से सम्बन्धित लगभग 5173 पुस्तकों तथा 25 पत्र पत्रिकाओं का संग्रह है। 11 नियमित समाचार पत्र उपलब्ध हैं। पुस्तकालय द्वारा एन आई सी से ई-ग्रन्थालय सॉफ्टवेयर निःशुल्क प्राप्त कर पुस्तकों का कम्प्यूटरी करण किया जा रहा है। छात्रों के अध्ययन हेतु पुस्तकालय में 20 शोधकेबिन एवं दो सौ छात्रों की बैठक व्यवस्था उपलब्ध है।



10.1 (ख) बुक बैंक की स्थापना

केन्द्रीय पुस्तकालय में निर्धन छात्र-छात्राओं के लिए सत्र 2015-16 में बुक बैंक की स्थापना की गई जिसमें छात्रों से पुरानी पुस्तकें प्राप्त कर उनका रिकार्ड कर निर्धन छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही है।

पाठकों को पुस्तकालय द्वारा पुस्तक आगम-निर्गम सेवा, बिल्लियोग्राफी सेवा, सामयिक अभियंता सेवा, चयनित सूचना प्रसार सेवा, संदर्भ सेवा आदि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा छात्रों को प्रतियोगिता पुस्तक सेल, स्वयं संस्कृत सीखें, इन्टरनेट सेवा तथा व्यक्तित्व विकास से संबंधित पुस्तक सेल बनाई हुई है। जिसका छात्रों द्वारा भरपूर उपयोग किया जा रहा है। पुस्तकालय में पुस्तकों को विषयवार द्विबिन्दु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार वर्गीकृत कर व्यवस्थापन किया गया है।

पुस्तकालय को स्वचालन ई-ग्रन्थालय सॉफ्टवेयर (3.0) में डेटाबेस तैयार कर किया जा रहा है। लगभग 20,067 पुस्तकों का डेटाबेस तैयार हो गया है। जिससे पाठकों को पुस्तकों का आगम-निर्गम किया जा रहा है। तथा पाठक अपनी वांछित पुस्तक की-बोर्ड, लेखक, प्रकाशक, पुस्तक शीर्षक, विषय की सहायता से कम्प्यूटरीकृत सूची से पुस्तक खोज सकते हैं।

10.2 कम्प्यूटर प्रयोगशाला

विश्वविद्यालय के अनुसंधान संस्थान में अत्याधुनिक कम्प्यूटर प्रयोगशाला विकसित की गई है, जिसमें चालीस (40) कम्प्यूटर सुसज्जित हैं। इनका उपयोग छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा में दक्षता दिलाने हेतु पी.जी.डी.सी.ए. इत्यादि आधुनिक पाठ्यक्रमों में किया जाता है। प्रयोगशाला में कम्प्यूटर शिक्षा देने वाले प्रशिक्षित कम्प्यूटर शिक्षक नियुक्त हैं।

10.3 छात्रवृत्तियाँ

1. समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति

(क) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों हेतु

2. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली

(ख) विकलांग विद्यार्थियों हेतु

3. यूजीसी की शोध छात्रवृत्ति



10.4 छात्रावास

छात्रावास के प्रवेश नियम एवं आवेदन पत्र पृथक् रूप से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है।

(क) छात्रावासीय प्रवेश हेतु वरीयता

1. छात्रावास में प्रवेश गत परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता क्रम से होगा।
2. जयपुर से बाहर के छात्रों को छात्रावास प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी।
3. पूर्व छात्रावासीय छात्रों में परीक्षोत्तीर्ण छात्रों को ही प्राथमिकता रहेगी।
4. विभागों में प्रविष्ट छात्रों की संख्या के आधार पर छात्रावास में स्थान दिया जायेगा।
5. किसी भी छात्र के प्रवेश सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रवेश समिति के पास रहेगा।

(ख) छात्रावासों का विवरण

विश्वविद्यालय परिसर में परम्परागत संस्कृत शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन के साथ साथ विभिन्न आधुनिक विषयों की शिक्षण व्यवस्था प्रारम्भ होने के कारण पूर्णकालिक सतत शिक्षा हेतु समुचित अध्ययन सुविधा की दृष्टि से दूरस्थ छात्र / छात्राओं हेतु पृथक् पृथक् छात्रावासों की व्यवस्था उपलब्ध है।

(i) पुरुष छात्रावास

छात्रों हेतु 2 भवनों में कुल 120 कमरे छात्रावास हेतु प्रकाश व हवा की समुचित सुविधायुक्त निर्मित है। वही इन भवन संकुलों के मध्य खेल मैदान विकसित है। विविध मूलभूत सुविधाएं व सुरक्षित छात्रावास उपलब्ध है।

(ii) मीरा महिला छात्रावास

- (क) छात्राओं की सुविधा हेतु पृथक् महिला छात्रावास मीरा छात्रावास है। इसमें आधुनिक दृष्टि से अटैच्ड शौचालय व स्नानगृह की सुविधायुक्त 40 कमरे निर्मित है। छात्रावास परिसर के मध्य ही खुला लॉन है।
- (ख) मीरा छात्रावास में प्रवेश आवेदन पत्र के साथ जमा कराये जाने वाले अनिवार्य प्रमाणपत्र –

1. छात्र से मिलने वालों का पास जारी करने हेतु माता/पिता/भाई इनमें से किन्हीं दो की पिता द्वारा हस्ताक्षर युक्त दो फोटो तथा हस्ताक्षर युक्त आई.डी. संलग्न करें।
2. छात्र को सामग्री लाने / चिकित्सालय जाने / स्थानीय संरक्षक के घर जाने की अनुमति हेतु दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर ‘शपथ पत्र’ विवरणिका में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार संलग्न करना होगा। यदि स्थानीय संरक्षक के यहाँ जाने की अनुमति चाही गई है तो स्थानीय संरक्षक का पिता द्वारा हस्ताक्षर युक्त आई.डी. संलग्न करें।





11. विश्वविद्यालय परिसर में पाठ्यक्रम, स्थान (सीटों) एवं प्रवेश योग्यता

विश्वविद्यालय का प्रथम शैक्षणिक सत्र 2002-03, 24 जुलाई 2002 से आरम्भ हुआ था।

11.1 सत्र 2017-18 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित स्थान (सीटों) सहित विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कक्षा	साहित्य	पुराण-इतिहास	योग विज्ञान	जैन दर्शन	नव्य व्याकरण	ज्योतिष (गणित /फलित)	वेद (ऋग्, यजु, साम, अथर्ववेद) पौरोहित्य धर्मशास्त्र सहित	दर्शन (न्याय, वेदान्त, वैशेषिक इत्यादि)	शिक्षा
1.	संयुक्ताचार्य प्रथम वर्ष हेतु (पंचवर्षीय)	50	30	-	30	50	50	50	50	-
2.	आचार्य प्रथम वर्ष हेतु	50	-	-	-	50	50	50	50	-
3.	शिक्षा-शास्त्री	-	-	-	-	-	-	-	-	100
4.	शिक्षाचार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	50
5.	योग विज्ञान शास्त्री (बी.एस.सी./बी.ए.)	-	-	60	-	-	-	-	-	-
6.	योग विज्ञान आचार्य (एम.एस.सी./एम.ए.)	-	-	60	-	-	-	-	-	-
7.	विद्यानिधि/एम.फिल	8	-	-	-	8	8	वेद 8 + धर्मशास्त्र 2	8	5
	कुल	108	30	120	30	108	108	110	108	155

टिप्पणी : विषय आरम्भ करने हेतु न्यूनतम छात्र संख्या 05 (पांच) अपेक्षित है। अतः प्रविष्ट छात्रों को प्रवेश फॉर्म में ही अन्य विषय में प्रवेश के लिए विकल्प देना होगा।

11.2 संयुक्ताचार्य प्रवेश अर्हता

1. संयुक्ताचार्य प्रथम वर्ष के लिए प्रवेशार्थी की आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। आयु की गणना का आधार, सम्बद्ध सत्र की 1 जुलाई को माना जाएगा।
2. प्रवेश में महिला प्रवेशार्थियों के लिए उक्त आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
3. वरिष्ठ उपाध्याय/संस्कृत विषय से सीनियर हायार सैकण्डरी (10+2) या तत्समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण छात्र स्नातक कक्षा के किसी भी विभाग में प्रवेश ले सकता है।
4. संस्कृत विषय रहित 10+2 परीक्षोत्तीर्ण छात्र भी संयुक्ताचार्य प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकता है। यदि वह इस विश्वविद्यालय का संस्कृत डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण हो। यदि विश्वविद्यालय से संस्कृत डिप्लोमा न किया हो, तथा संस्कृत विषय रहित 10+2 परीक्षोत्तीर्ण हो, ऐसे छात्र भी संयुक्ताचार्य में प्रवेश ले सकते हैं, परन्तु प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व उस छात्र को संस्कृत योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
5. संयुक्ताचार्य प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाला छात्र यदि योग्यता परीक्षा में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो तो वह प्रवेश समिति की अनुमति के बाद प्रवेश ले सकेगा जिसके लिए उसे आवेदन पत्र की समस्त पूर्तियाँ करते हुए प्रवेश आवेदन के साथ प्रवेश शुल्क जमा करवा कर सीधे हीं प्रवेश ले सकेगा।
6. (I) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की वेदभूषण परीक्षा आधुनिक विषयों के साथ उत्तीर्ण छात्र केवल वेद विषय में प्रवेश ले सकेगा।
(II) वेद, पौरोहित्य एवं पूर्व मीमांसा में प्रवेशार्ह छात्रों की मौखिक परीक्षा लेकर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
7. किसी भी विभाग में प्रविष्ट छात्र यदि विषय परिवर्तन करता है तो वांछित विषय, विभाग में प्रविष्ट छात्रों की सूची में निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक (मेरिट कट ऑफ) से अधिक प्राप्तांक वाला ही प्रवेश ले सकेगा।



11.3 आचार्य (सेमेस्टर पद्धति) प्रवेश अर्हता

- आचार्य पूर्वार्ध में प्रवेश के लिए प्रवेशार्थी की आयु 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- शास्त्रीया तत्समकक्ष संस्कृत परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ने जिस शास्त्रीय विषय को लेकर शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है वह उसी विषय में आचार्य कर सकता है।
- साहित्य, धर्मशास्त्र, ज्योतिष फलित, पुराणेतिहास, सामान्य दर्शन, रामानन्ददर्शन, रामानुजदर्शन, तुलनात्मक दर्शन इन विषयों में वैकल्पिक संस्कृत से शास्त्री/बी.ए./तत्समकक्ष स्नातक, आचार्य कर सकता है।
- पूर्वोक्त विषयों के अलावा अन्य विषयों में प्रवेश हेतु छात्र को सम्बद्ध विषय में शास्त्री परीक्षा अथवा परम्परागत समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जो छात्र अन्य विषय से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण है और इन विषयों में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे अतिरिक्त विषय लेकर शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
- स्थान रिक्त होने पर ही पूरक परीक्षा योग्य घोषित विद्यार्थी को अस्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा।

11.4 योग विज्ञान शास्त्री (बी.एससी./बी.ए.) योग्यता—किसी भी विषय में 10+2 उत्तीर्ण।

11.5 योग विज्ञान आचार्य (एम.एससी./एम.ए.) योग्यता—किसी भी विषय में स्नातक एवं समकक्ष।

उपस्थिति

प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अभाव में छात्र परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो सकेगा।

गणवेष

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित गणवेष धारण करना होगा जो निर्धारित है। (छात्रों के लिये सफेद धोती कुर्ता / पेन्ट शर्ट और छात्राओं के लिये मैरून साड़ी / सलवार सूट)

12. अन्य पाठ्यक्रम

12.1 विशिष्ट उपाख्य (एडवांस डिप्लोमा) / उपाख्य (डिप्लोमा) / प्रमाण पत्र के एक वर्षीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विषयों तथा निर्धारित स्थान का विवरण अधोलिखित है :-

पाठ्यक्रम	प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट कोर्स)	उपाख्य (डिप्लोमा)	विशिष्ट उपाख्य (एडवांस डिप्लोमा)	पी.जी.डी. सी.ए.	पी.जी. (डिप्लोमा)	त्रैमासिक प्रमाण पत्र
कर्मकाण्ड एवं पौरोहित्य	-	50	-	-	-	-
संस्कृत	-	-	-	-	-	50
वास्तु	30	30	30	-	-	-
ज्योतिष	30	30	30	-	-	-
कम्प्यूटर	-	-	-	60	-	-
योगा	-	-	-	-	100	30
योग	60	110	60	60	100	80

टिप्पणी : प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम छात्र संख्या 10 (दस) अपेक्षित है।

12.2 डिप्लोमा प्रवेश योग्यता :

- कर्मकाण्ड एवं पौरोहित्य उपाख्य (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम योग्यता सीनीयर सैकण्डरी परीक्षा किसी भी विषय से 40 प्रतिशत प्राप्तांक सहित उत्तीर्ण।
- वास्तु एवं ज्योतिष के प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) पाठ्यक्रम के लिए सीनीयर सैकण्डरी परीक्षा किसी भी विषय से उत्तीर्ण।
- कम्प्यूटर में पी. जी. डी. सी. ए. पाठ्यक्रम के लिए बी. ए. (स्नातक) परीक्षा उत्तीर्ण।



- (घ) (i) संस्कृत प्रमाणपत्र, योग्यता-किसी भी विषय में 10+2 उत्तीर्ण।
 (ii) योग प्रमाण पत्र, योग्यता-किसी भी विषय में 10+2 उत्तीर्ण।
 (iii) योग चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, योग्यता-किसी भी विषय में स्नातक एवं समकक्ष।

13. प्रवेश नियम -

13.1 प्रवेश में वरीयता

1. योग्यता सूची में दो छात्रों के अंकों का प्रतिशत समान होने की स्थिति में आवेदित (स्व) विषय में अधिक प्राप्तांक वाले छात्र को प्रवेश हेतु वरीयता दी जावेगी।
2. यदि कोई अभ्यर्थी वरिष्ठोपाध्याय अथवा सीनियर सैकण्डरी/शास्त्री की पुनः परीक्षा देकर अपनी अंक वृद्धि कर लेता है तो उसकी योग्यता के निर्धारण के लिए बढ़े हुए अंक भी विचारणीय होंगे। बशर्तेप्रवेश आवेदन के साथ नवीन अंक तालिका संलग्न की हो।
3. पूरक परीक्षा योग्य घोषित विद्यार्थियों को भी प्रवेश की अन्तिम तिथि तक विश्वविद्यालय में अस्थायी प्रवेश लेना आवश्यक होगा, परन्तु उन्हें पूरक परीक्षा के परिणामों में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद ही नियमित छात्र के रूप में प्रवेश दिया जा सकेगा। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। यह प्रावधान उन छात्रों पर भी लागू होगा जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन कराया है। अन्य विश्वविद्यालय के छात्र भी जिनके परिणाम उद्घोषित नहीं हुए, वे भी स्थान उपलब्ध होने पर अस्थायी प्रवेश ले सकते हैं।
4. अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी की पात्रता तथा योग्यता स्थान निर्धारण के लिए पूरक परीक्षा के विषय / पेपर अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के बजाय न्यूनतम उत्तीर्णांक जोड़े जायेंगे।

13.2 समान योग्यता स्थान होने पर प्राथमिकता

यदि किसी कक्षा / विषय में लाभ के अंक प्राप्त छात्र और लाभ रहित अभ्यर्थी दोनों वरीयता सूची में समान योग्यता स्थान रखते हो तो उनमें से लाभांक प्रतिशत से रहित छात्र को प्राथमिकता देते हुए उपलब्ध स्थान पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा। कदाचित् लाभांक रहित वाले अभ्यर्थियों का वरीयता क्रम समान रहता है तो अधिक उप्र वाले अभ्यर्थी को प्रथमतः स्थान दिया जायेगा।

13.3 अन्तराल के बाद प्रवेश

1. जो छात्र योग्यता परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में प्रविष्ट होकर उत्तीर्ण होता है। यदि उत्तीर्णता वर्ष के पश्चाद्वर्ती सत्र में किसी उचित कारण से नियमित छात्र के रूप में अगली परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है तो उसे आगामी सत्र के लिए नियमित प्रवेश योग्य माना जायेगा।
2. यदि कोई छात्र किसी कारणवश योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सत्र के पश्चाद्वर्ती सत्र में किसी भी महाविद्यालय में नियमित अध्ययन नहीं करता है तो ऐसे छात्र के निम्नांकित शर्तों के साथ प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश के लिए पात्र माना जायेगा।
 - (क) ऐसे छात्र को प्रवेश आवेदन के साथ आशय का शपथ पत्र (नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कर) प्रस्तुत करना होगा कि इस अन्तराल की अवधि में वह किसी अन्य महाविद्यालय का नियमित अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय का स्वयंपाठी छात्र नहीं रहा है।
 - (ख) यदि इस अन्तराल की अवधि में वह किसी अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नियमित छात्र रहा है अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय का स्वयंपाठी छात्र रहा है तो उसे उक्त शपथ पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि उसे संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश अथवा परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। अन्य संस्था में नियमित अध्ययन की स्थिति में संस्था-प्रधान द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
 - (ग) उक्त शपथपत्र में यह भी अंकित करना होगा कि अध्ययन अंतराल की अवधि में उसका आचरण संतोषजनक था, तथा उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दण्डित नहीं किया गया है।
3. दो शैक्षणिक सत्र से अधिक अन्तराल व्यतीत होने के पश्चात् आवेदक छात्र को किसी भी परिस्थिति में नियमित प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

विशेष : संयुक्ताचार्य प्रथम सेमेस्टर एवं संयुक्ताचार्य सप्तम सेमेस्टर या आचार्य प्रथम सेमेस्टर में नियमित रूप से प्रविष्ट तथा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को अपरिहार्य कारणों से आगे के सेमेस्टर में स्वयंपाठी छात्र के रूप में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकेगी। इस सन्दर्भ में नॉन ज्यूडिशियल 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर कारण सहित नियमित नहीं हो सकने का उल्लेख करना होगा।



13.4 नियमित प्रवेश के लिए अपात्रता

निम्नांकित छात्र नियमित प्रवेश के लिए योग्य नहीं होंगे:-

- जो छात्र एम.ए. (संस्कृत/आचार्य पाठ्यक्रम) में नियमित प्रवेश लेकर अध्ययन करते हुए अनुत्तीर्ण रहता है।
- जो छात्र पर्याप्त उपस्थिति के बाद भी परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरता है तथा परीक्षा में शामिल नहीं होता है।
- जो छात्र सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा निर्धारित उपस्थिति की पूर्ति के अभाव में परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया हो।
- किसी भी संस्था या विश्वविद्यालय से कोई भी विषय लेकर एक बार स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियमित छात्र के रूप में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश नहीं ले सकेगा।

13.5 प्रवेश अस्वीकार करने का अधिकार (अपात्रता)

निम्नांकित स्थितियों में अभ्यर्थी का प्रवेश विश्वविद्यालय अस्वीकार कर सकता है :-

- (क) ऐसा अभ्यर्थी जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जान-बूझ कर छिपाया हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया हो।
- (ख) ऐसे अभ्यर्थी जिसने विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, जैसे राजनैतिक दबाव, अनुचित सिफारिश, रिश्वत अथवा आतंक इत्यादि।
- (ग) ऐसा अभ्यर्थी जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित अन्तिम तिथि तक विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय में शुल्क जमा नहीं कराया हो।
- (घ) ऐसा अभ्यर्थी जो पूर्व वर्षों में किसी दुराचार/दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो या विश्वविद्यालय परीक्षा काल में अनाचार का दोषी रहा हो।
- (ङ) परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किया गया हो।
- (च) ऐसा अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला पुलिस/न्यायालय में विचाराधीन हो।
- (छ) ऐसा अभ्यर्थी जो प्रवेश प्रक्रिया के समय किसी शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार/दुर्व्यवहार अथवा गाली-गलौच करने का दोषी हो।
- (ज) ऐसा अभ्यर्थी जो न्यायालय के द्वारा शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार/दुर्व्यवहार अथवा इसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो।
- (झ) अभ्यर्थी के किसी भी अन्य अवांछनीय आचरण के कारण।
- (ञ) प्रवेश हेतु स्थान उपलब्ध न होने के कारण।

13.6 आरक्षण रियायत एवं लाभ

- विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के आरक्षण नियम लागू होंगे। आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 12 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 21 प्रतिशत निर्धारित है।
- सामान्य वर्ग एवं निर्धारित आरक्षित वर्गों में विकलांगों के लिए 03 प्रतिशत और कश्मीरी विस्थापितों के लिए 01 प्रतिशत स्थान आरक्षित है।
- आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्रों पर प्रवेश सम्बन्धी निर्णय लेने के पश्चात् भी यदि आरक्षित स्थान रिक्त रहते हैं, तो ऐसे रिक्त स्थानों पर सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को प्रवेश की अन्य समस्त शर्तेपूरी होने पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
- विशिष्ट उपलब्धियों एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों में अर्जित विशिष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों/छात्राओं के लिए नियमानुसार प्रवेश के लिए बोनस अंक देकर प्रवेश वरीयता सूची बनायी जायेगी।
- स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु (अ) त्रिवर्षीय रक्तदान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एक प्रतिशत अंक (ब) साक्षरता अभियान में सहयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 0.5 प्रतिशत अंक (स) महाविद्यालयों के बुक बैंक में सम्पूर्ण पुस्तकें लगातार 3 वर्ष तक जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 0.5 प्रतिशत अंक का लाभ दिया जायेगा।



13.7 विदेशी छात्रों का प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण विदेशी छात्रों को शास्त्री / आचार्य कक्षाओं में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेतु पाठ्यक्रम की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
2. तत्तद् देशीय 12वीं अथवा तत्समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र सेतु पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने पर किसी भी विभाग में प्रवेश ले सकता है।
3. तत्तद् देशीय स्नातक अथवा तत्समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र सेतु पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने पर साहित्य अथवा सामान्य दर्शन विभाग में प्रवेश ले सकता है।
4. विदेशी छात्रों की योग्यता का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा घटित अन्तराष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ (International Students Cell) करेगा। तत्पश्चात् ही एक वर्षावधि सेतु पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।
5. शास्त्री / आचार्य पाठ्यक्रम हेतु विदेशी छात्रों का शुल्क भारतीय छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क का पांच गुना अधिक होगा। सेतु पाठ्यक्रम हेतु शुल्क शास्त्री प्रथम वर्ष के शुल्क से पांच गुना अधिक होगा।
6. विदेशी छात्रों के लिए परीक्षा का माध्यम संस्कृत / हिन्दी / अंग्रेजी होगा।
7. विदेशी छात्र आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.jrrsanskrituniversity.ac.in से डाउनलोड कर निदेशक, शैक्षणिक परिसर कार्यालय को भेज सकते हैं।

Admission Rules for Foreign Students

1. Foreign Nationals, who seek admission in Shastri / Acharya course of university, have to get admission in the Bridge course (in Sanskrit) of one year duration.
2. After passing the Bridge course, He/She may be given admission into shastri in any of the Departments, provided the candidate has passed the 12th exam or equal to that of the country concerned.
3. After passing the Bridge course, He/She may be given admission into Acharya in Sahitya or Dept. of Samanya Darshana only, provided the candidate has passed the Degree or equal to that of the country concerned.
4. Equivalence of their Degrees will be decided by the international students' cell constituted by the university.
5. Medium of the Examination will be either Sanskrit/Hindi/English.
6. Fee structure for Foreign Nationals will be five times greater than the fees prescribed for Indian nationals, which is given in the prospectus. Fee structure for Bridge course will be five times greater than the fees prescribed for Indian nationals for Shastri first year course.
7. Applications can be downloaded from university's website www.jrrsanskrituniversity.ac.in. Filled in applications can be sent to the Director (Campus Studies), Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University, Village – Madau, Post – Bhankrota, Jaipur (Raj.)





14. प्रवेश शुल्क विवरण

14.1 संयुक्ताचार्य एवं आचार्य कक्षाओं हेतु प्रवेश शुल्क विवरण

(क) विभिन्न प्रकार के शुल्क (सभी के लिए)

क्रम सं.	विवरण	प्रस्तावित शुल्क
1.	प्रवेश शुल्क	200.00
2.	परिचय-पत्र शुल्क	100.00
3.	विकास शुल्क	900.00
4.	पुस्तकालय उपयोग शुल्क	700.00
	-	शास्त्री स्तर
	-	आचार्य स्तर
5.	छात्र निधि शुल्क (विश्वविद्यालय के स्थायी कार्यों हेतु)	500.00
6.	छात्र संघ शुल्क	300.00
7.	क्रीड़ा शुल्क	400.00
8.	बीमा शुल्क	50.00
9.	सैनिक कल्याण कोष सहायता शुल्क	10.00
	कुल योग	4060.00
10.	कम्प्यूटर अनुप्रयोग (अनिवार्य) तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर के लिए	1000.00
11.	कम्प्यूटर अनुप्रयोग (वैकल्पिक) प्रतिवर्ष	4000.00

(ख) शिक्षण शुल्क (वर्गानुसार)

क्रम सं.	विवरण	प्रस्तावित शुल्क
1.	छात्रा	शून्य
2.	अनुसूचित जाति / जनजाति छात्र	800.00
3.	आयकर नहीं देते हैं (सामान्य/ओबीसी छात्र)	800.00
4.	आयकर देते हैं तो - (सामान्य/ओबीसी छात्र)	
	(क) यदि 50,000 रु. तक आयकर देते हैं	1500.00
	(ख) यदि 50,000 रु. से अधिक आयकर देते हैं	2000.00

विशेष :- छात्राएं शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगी।

(ग) प्रायोगिक शुल्क (वेद, पौरोहित्य, ज्योतिष)

1.	संयुक्ताचार्य (1 से 6 सेमेस्टर के लिए)	-	300.00 रु. प्रतिवर्ष
2.	संयुक्ताचार्य (7 से 10 सेमेस्टर के लिए)	-	400.00 रु. प्रतिवर्ष
3.	आचार्य (प्रथम व द्वितीय वर्ष)	-	400.00 रु. प्रतिवर्ष



14.2 विद्यानिधि (एम. फिल) कक्षा हेतु प्रवेश शुल्क विवरण

नोट- प्री-पी.एच.डी./प्री-एम.फिल परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही विद्यानिधि (एम.फिल) पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे।

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तावित शुल्क
1.	प्रवेश शुल्क	300.00
2.	परिचय पत्र शुल्क	100.00
3.	विकास शुल्क	1000.00
4.	पुस्तकालय शुल्क	1500.00
5.	शिक्षण शुल्क	3000.00
6.	छात्रनिधि शुल्क (विश्वविद्यालय के स्थायी कार्यों हेतु)	500.00
7.	लघुशोध प्रबन्ध परीक्षण शुल्क	2000.00
8.	छात्र संघ शुल्क	200.00
9.	बीमा शुल्क	50.00
10.	सैनिक कल्याण कोष सहायता शुल्क	10.00
11.	क्रीड़ा शुल्क	300.00
	योग	8960.00

14.3 पी.जी.डी.सी.ए. शुल्क विवरण

क्र. सं.	विवरण	बाहरी छात्रों के लिए	विवि. में अध्ययनरत छात्रों के लिए	विवि. में कार्यरत कर्मचारियों के लिए
1.	प्रवेश शुल्क	1000.00	1000.00	1000.00
2.	परिचय पत्र शुल्क	100.00	100.00	100.00
3.	विकास शुल्क	5000.00	1000.00	2500.00
4.	शिक्षण शुल्क	1000.00	1000.00	1000.00
5.	प्रोजेक्ट प्रस्तुति शुल्क	1000.00	1000.00	1000.00
6.	प्रायोगिक शुल्क	3250.00	2250.00	2625.00
7.	सैनिक कल्याण कोष सहायता शुल्क	10.00	10.00	10.00
8.	बीमा शुल्क	50.00	50.00	50.00
	योग	11410.00	6410.00	8285.00





14.4 कर्मकाण्ड पौरोहित्य डिप्लोमा शुल्क विवरण

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तावित शुल्क
1.	प्रवेश शुल्क	2000.00
2.	प्रायोगिक शुल्क	840.00
3.	परिचय पत्र शुल्क	100.00
4.	सैनिक कल्याण कोष सहायता शुल्क	10.00
5.	बीमा शुल्क	50.00
	योग	3000.00

14.5 योग पाठ्यक्रम शुल्क विवरण

1.	एकवार्षिय पी.जी. डिप्लोमा इन योग	-	16000.00
2.	योग प्रमाण पत्र (त्रैमासिक)	-	8000.00
3.	योगविज्ञान शास्त्री (बी.एससी./बी.ए.)	-	12000.00
4.	योगविज्ञान-आचार्य (एम.एससी./एम.ए.)	-	15000.00

14.6 अन्य शुल्क

1.	स्थानान्तरण शुल्क (टीसी लेटे समय)	-	300.00
2.	चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क	-	200.00

14.7 Fee Structure for Foreign Students –

S.NO.	DETAILS	FEES
1.	Admission Fee	- 1000.00
2.	ID Card Fee	- 1000.00
3.	Tution Fee	- 5000.00
4.	Development Fee	- 6000.00
5.	Library Fee	- 4000.00
6.	Students Fund	- 4000.00
7.	Students Union Fee	- 2000.00
8.	Sports Fee	- 1000.00
9.	Insurance Fee	- 500.00
10.	Defence Welfare Fund	- 100.00
	Total	24,600.00

Note :- The fee structure mentioned above may change every year as per the decision of fee regulating committee.

15. आवेदन पत्र प्राप्ति और जमा स्थान

15.1 आवेदन पत्र प्राप्ति स्थान

- स्वागत कक्ष, पूर्वीद्वार, प्रशासनिक भवन/कार्यालय, निदेशक शैक्षणिक परिसर, ज.रा.गा.सं.वि.वि, जयपुर
- Website = www.jrrsanskrituniversity.ac.in

जो अध्यर्थी Website से आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे उन्हें आवेदन पत्र के साथ (Registrar, J. R. Rajasthan Sanskrit University) के नाम पर 250/- रुपये का डिमान्ड ड्राट अथवा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित इलाहाबाद बैंक में चालान द्वारा जमा करवाना होगा।



15.2 आवेदन पत्र जमा कराने का स्थान

कार्यालय, निदेशक, शैक्षणिक परिसर

साहित्य विभाग, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर दूरभाष 5132028

15.3 संयुक्ताचार्य / आचार्य (सेमेस्टर पद्धति) कक्षाओं में नवीन प्रवेश हेतु निर्धारित तिथियां

1.	आवेदन पत्र विक्रिय प्रारम्भ	01.06.2017
2.	प्रथम प्रवेश सूची प्रकाशन (दि. 23.06.2017 तक प्राप्त आवेदन पत्रों में से साहित्य एवं व्याकरण में 60 प्रतिशत से ऊपर तथा अन्य विषयों के लिए 45 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की)	26.06.2017
3.	प्रथम प्रवेश सूची के छात्रों हेतु शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	30.06.2017
4.	शिक्षण कार्य प्रारम्भ	01.07.2017
5.	द्वितीय प्रवेश सूची प्रकाशनार्थ आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि	04.07.2017
6.	द्वितीय सूची प्रकाशन	06.07.2017
7.	द्वितीय प्रवेश सूची के छात्रों हेतु शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	11.07.2017
8.	प्रथम एवं द्वितीय प्रवेश सूची के छात्र (जो शुल्क जमा नहीं करा सके) के लिए 100/- रुपये विलम्ब शुल्क सहित प्रवेश शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि (स्थान रिक्त होने पर)	15.07.2017
9.	स्थान रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के लिए 500/- रुपये विलम्ब शुल्क सहित प्रवेश लेने की अन्तिम तिथि	31.07.2017
टिप्पणी – प्रवेश समिति की अनुशंसा पर निदेशक, शैक्षणिक परिसर को प्रवेश तिथियों में संशोधन / परिवर्द्धन करने का अधिकार होगा। किसी भी संशोधन/परिवर्द्धन की नियमित सूचना कुलपति को भेजनी होगी।		
15.4 संयुक्ताचार्य / आचार्य (सेमेस्टर पद्धति) कक्षाओं के पूर्व छात्रों के प्रवेश हेतु निर्धारित तिथियां		
1.	शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि	- परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के 15 दिवस तक
2.	100/- रुपये विलम्ब शुल्क सहित	- अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस तक

16. प्रवेश व्यवस्था

16.1 कार्यालय, निदेशक शैक्षणिक परिसर (साहित्य विभाग) ज.रा.रा.सं.वि.वि., जयपुर 5132028

- (क) छात्रों के प्रवेश के सन्दर्भ में निदेशक, शैक्षणिक परिसर आवश्यकतानुसार प्रवेश परामर्श समिति का गठन करेगा। प्रवेश सम्बन्धी सभी मामलों में जिसका निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।
- (ख) प्रवेश एवं अन्य सभी मामलों में विशेषाधिकार माननीय कुलपति महोदय के पास सुरक्षित है।

16.2 विभिन्न समितियां –

(क)	छात्र परामर्श केन्द्र समिति, कार्यालय, साहित्य विभाग	5132028
1.	डॉ. सुभाष शर्मा	संयोजक 9829566944
2.	डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा	सदस्य 8107005008
3.	डॉ. शम्भु कुमार झा	सदस्य 9413095190
4.	डॉ. कैलाश चन्द्र शर्मा	सदस्य 9829204498



(ख) विभागीय प्रवेश समिति, संबंधित विभाग

1.	साहित्य विभाग	डॉ. सुभाष शर्मा, सह आचार्य	9829566944
		डॉ. स्नेहलता शर्मा, सहा.आचार्य	9352530162
		डॉ. उमेश नेपाल, सहा.आचार्य	9829568913
2.	व्याकरण विभाग	डॉ. राजधर मिश्र, सह आचार्य	9314568823
		डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा, सह आचार्य	8107005008
		डॉ. दयाराम दास, सह. आचार्य	9928215878
		डॉ. शशिकुमार शर्मा, सहा.आचार्य	9828322255
3.	ज्योतिष विभाग	डॉ. विनोद कुमार शर्मा, सह आचार्य	9414350711
		डॉ. कैलाश चन्द्र शर्मा, सहा.आचार्य	9829204498
		डॉ. शिवाकान्त मिश्र, सहा.आचार्य	9413840157
4.	वेद विभाग	डॉ. नारायण होसमने, सहा.आचार्य	9928157795
		डॉ. शम्भु कुमार झा, सहा.आचार्य	9166227681
		डॉ. देवेन्द्र कुमार शर्मा, सहा.आचार्य	9887669869
5.	दर्शन विभाग	डॉ. रामेश्वरनाथ द्विवेदी, सहा.आचार्य	9413842030
		श्री महेश शर्मा, सहा.आचार्य	9214316999

(ग) अनुशासन समिति

1.	निदेशक शैक्षणिक परिसर	संयोजक
2.	डॉ. के. साम्बशिव मूर्ति	सदस्य
3.	डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा	सदस्य
4.	डॉ. कैलाश चन्द्र शर्मा	सदस्य
5.	डॉ. मधुबाला शर्मा	सदस्य
6.	श्री सोहन लाल यादव	सदस्य

विशेष :- विभिन्न समिति के सदस्य, जो प्रवेश व्यवस्था के निमित्त ग्रीष्मावकाश में उपस्थिति देंगे, उन्हें यथा नियम उपार्जित अवकाश देय होगा।

17. शैक्षणिक पंचांग :

संयुक्ताचार्य/आचार्य

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	सत्रारम्भ/अध्ययन आरम्भ	01.07.2017
2.	गुरु पूर्णिमा	09.07.2017
3.	संयुक्ताचार्य/आचार्य के नियमित छात्रों द्वारा नामांकन पत्र	03.08.2017
4.	स्वतंत्रता दिवस समारोह	15.08.2017
5.	संस्कृत दिवस समारोह / रक्षाबंधन	07.08.2017
6.	साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समाह	21.08.17 से 26.08.17
7.	नियमित छात्रों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र पूर्ति	04.09.2017
8.	हिन्दी दिवस	14.09.2017



9.	संयुक्ताचार्य प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम सेमेस्टर की परीक्षा	20.11.2017 से प्रारम्भ
10.	द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम सेमेस्टर का अध्ययन प्रारम्भ	01.12.2017
11.	शीतकालीन अवकाश	25.12.17 से 31.12.17
12.	ईसा. नववर्ष प्रारम्भ	01.01.2018
13.	रामानन्द जयन्ती	08.01.2018
14.	गणतंत्र दिवस समारोह	26.01.2018
15.	विश्वविद्यालय स्थापना दिवस	06.02.2018
15.	संयुक्ताचार्य द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम सेमेस्टर परीक्षा	12.04.2018 से प्रारम्भ
16.	ग्रीष्मकालीन अवकाश	01.05.18 से 30.06.18
17.	केन्द्रीय मूल्यांकन	01.05.18 से 31.05.18
18.	परीक्षा परिणाम प्रकाशन	10.06.2018 तक
19.	अन्ताराष्ट्रीय योग दिवस	21.06.2018

टिप्पणी : शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य कक्षाओं की व्यवस्था राज्य सरकार / एन.सी.टी.ई. के निर्देशानुसार होगी।

18. सम्पर्क सूत्र

18.1 संयुक्ताचार्य/विद्यानिधि

1.	प्रो. ताराशंकर शर्मा निदेशक, शैक्षणिक परिसर (साहित्य विभाग)	5132028
2.	श्री हनुमान सहाय शर्मा अनुभागाधिकारी, कार्यालय निदेशक, शैक्षणिक परिसर (साहित्य विभाग)	5132028
3.	अन्य सभी विभागीय प्रवेश समिति सदस्य, जिनकी दूरभाष संख्या 16.2 (ख) पर दी गई है।	

18.2 शिक्षाचार्य/शिक्षाशास्त्री

1.	डॉ. के. साम्बशिवमूर्ति	9928525565
2.	डॉ. माताप्रसाद शर्मा	9929773201
3.	डॉ. दिवाकर मिश्र	9829560632
4.	डॉ. कुलदीप सिंह पालावत	9460910985

18.3 छात्रावास प्रवेश

1.	डॉ. के. साम्बशिवमूर्ति, छात्रावास मुख्य अधीक्षक	9928525565
2.	डॉ. शशि कुमार शर्मा, प्रथम छात्रावास अधीक्षक	9828322255
3.	डॉ. दयाराम दास, द्वितीय छात्रावास अधीक्षक	9460910985
4.	डॉ. मधुबाला शर्मा, महिला छात्रावास अधीक्षिका	9928014538
5.	श्री भंवर सैन, लिपिक, समस्त छात्रावास	9950737822

18.4 योग विज्ञान शास्त्री (बी.एससी./बी.ए.), योग विज्ञान आचार्य (एम.एससी/एम.ए.)

योग प्रशिक्षक प्रमाण पत्र एवं योग चिकित्सा स्नातकोत्तर डिप्लोमा

1.	योग साधना केन्द्र	9663306972
----	-------------------	------------



18.5 पी.जी.डी.सी.ए.

1. श्री कुलदीप तिवाड़ी 9928700607

18.5 बैंक

1. इलाहाबाद बैंक, विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर 0141-3202224

19. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और शिक्षक वर्ग

प्रशासनिक वर्ग	पद	फोन नं. (कार्यालय)
प्रो. विनोद शास्त्री	कुलपति	5132001
प्रो. ताराशंकर शर्मा	कुलसचिव (अतिरिक्त कार्यभार)	5132021
श्री के. जी. गुप्ता	वित्त नियंत्रक	5132006
प्रो. विनोद शास्त्री	निदेशक, अनुसंधान केन्द्र	5132022
प्रो. ताराशंकर शर्मा	निदेशक, शैक्षणिक परिसर	5132028
श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी	परीक्षा नियंत्रक	9829272127
डॉ. सुभाष चन्द्र शर्मा	सहायक कुलसचिव, परीक्षा विभाग	9414332341
डॉ. जगदीश नारायण विजय	सहायक कुलसचिव, शैक्षणिक, सा. प्रशासन	5132065, 9414348117
श्री प्रतीक शर्मा	सहायक कुलसचिव (प्रतिनियुक्ति)	
श्री सोहन लाल यादव	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	5132029, 9414441405

शैक्षणिक वर्ग

विभाग एवं शिक्षक	पद	दूरभाष
वेद पौरोहित्य विभाग		5132026
डॉ. नारायण होसमने	असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष	
डॉ. राजेन्द्र मिश्र	प्रोफेसर	
डॉ. शम्भु कुमार झा	असिस्टेंट प्रोफेसर	
डॉ. देवेन्द्र कुमार शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर	
नव्य व्याकरण विभाग		5132024
डॉ. राजधर मिश्र	एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष	
डॉ. अशोक कुमार तिवारी	प्रोफेसर	
डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर	
डॉ. दयाराम दास	असिस्टेंट प्रोफेसर	
डॉ. शशिकुमार शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर	
साहित्य विभाग		5132028
डॉ. सुभाष चन्द्र शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष	
प्रो. ताराशंकर शर्मा	प्रोफेसर	
डॉ. उमेश नेपाल	असिस्टेंट प्रोफेसर	
डॉ. (श्रीमती) स्नेहलता शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर	
डॉ. (श्रीमती) मधुबाला शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर	



ज्योतिष विभाग

डॉ. कैलाश चन्द्र शर्मा

डॉ. विनोद कुमार शर्मा

डॉ. शिवाकान्त मिश्र

दर्शन विभाग

डॉ. रामेश्वरनाथ द्विवेदी

श्री महेश शर्मा

शिक्षा विभाग

डॉ. दिवाकर मिश्र

डॉ. के. साम्बशिवमूर्ति

डॉ. माताप्रसाद शर्मा

डॉ. कुलदीप सिंह पालावत

योग साधना केन्द्र

डॉ. के. साम्बशिवमूर्ति

अनुसंधान केन्द्र

प्रो. विनोद शास्त्री

डॉ. संदीप जोशी

श्री रमेश चन्द्र प्रधान

कम्प्यूटर लेब

श्री कुलदीप तिवाड़ी

5132027

असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

एसोसिएट प्रोफेसर

असिस्टेंट प्रोफेसर

5132023

असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

असिस्टेंट प्रोफेसर

5132025

असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

एसोसिएट प्रोफेसर

एसोसिएट प्रोफेसर

असिस्टेंट प्रोफेसर

निदेशक (अतिरिक्त कार्यभार)

5132022

निदेशक

असिस्टेंट प्रोफेसर

अनुभागाधिकारी

9460286488

5132005

कम्प्यूटर प्रोग्रामर

9928700607





रैंगिंग शपथ-पत्र का प्रारूप

मैं पुत्र/पुत्री
 श्री उम्र वर्ष, जाति
 निवासी शपथ पूर्वक
 निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ कि-

1. यह कि मैंने जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के विभाग में कक्षा वर्ष 2017-2018 में प्रवेश हेतु आवेदन किया है।
2. यह कि विश्वविद्यालय /विभाग द्वारा प्रवेश दिये जाने पर रैंगिंग से सम्बन्धित किसी प्रकार की गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होऊंगा/होऊंगी एवं ऐसी किसी भी गतिविधि में सहयोग नहीं करूंगा/करूंगी।
3. यह कि अध्यन के दौरान में रैंगिंग से सम्बन्धित किसी गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप पाया/पायी जाऊं तो विश्वविद्यालय/समस्त शैक्षणिक विभाग/विभाग प्रशासन को मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने अधिकार होगा जिसमें विश्वविद्यालय / निदेशक, शैक्षणिक परिसर / शैक्षणिक विभाग से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा से वंचित करना भी हो सकता है। विश्वविद्यालय को मेरी अंकतालिका / प्रमाण-पत्र में रैंगिंग की गतिविधि के बारे में रिमार्क अंकित करने का भी अधिकार होगा जिसके विरुद्ध मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा/करूंगी।

शपथ ग्रहीता

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहीता शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 3 को अपनी स्वयं की जानकारी एवं विश्वास से सही होना तस्दीक करता/करती हूँ। इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया हैं, ईश्वर मदद करें।

शपथ ग्रहीता

मीरा छात्रावास प्रवेश हेतु शपथ-पत्र का प्रारूप

(छात्रावास में प्रवेश हेतु शपथ-पत्र का प्रारूप 10/- को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर नोटेरी से अटेस्टेट)

मैं पुत्र/पुत्री
 श्री उम्र वर्ष, जाति
 निवासी शपथ पूर्वक
 निम्नलिखित कथन करती हूँ कि-

1. यह कि मैंने जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के विभाग में कक्षा वर्ष 2017-2018 में प्रवेश हेतु आवेदन किया है।
2. यह है कि मैं अनाधिकृत वाहनों में बैठकर यात्रा नहीं करूंगी तथा यदि ऐसा करने पर कोई दुर्घटना या अनहोनी होती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगी।
3. यह है कि विश्वविद्यालय छात्रावास के सभी नियमों का सम्पूर्ण निष्ठा के साथ अक्षरशः पालना करूंगी तथा छात्रावास में सभी छात्राओं के साथ सौहार्द पूर्ण व्यवहार करूंगी।
4. विश्वविद्यालय की सम्पति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाऊंगी तथा यदि मेरे कक्ष में विश्वविद्यालय सम्पति की किसी प्रकार से क्षति पाई जाती है तो उसका उत्तरदायित्व मेरी होगी।

हस्ताक्षर छात्रा

- (क) मेरी पुत्री छात्रा का नाम पुत्री श्री कक्षा
 विषय वर्ष में अध्ययनरत मीरा-छात्रावास की छात्रा है। उक्त छात्रा को आवश्यक सामग्री लाने / चिकित्सा हेतु बाहर जाने की अनुमति दी जावे।
- (ख) उक्त छात्रा को स्थानीय संरक्षक का नाम पता मोबाइल नं.
 के यहाँ को जाने की अनुमति दी जावे।
- (ग) छात्रा के बीमार होने की स्थिति में सूचित किये जाने पर छात्रा की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या तथा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सालय में देख-रेख की व्यवस्था हेतु मैं स्वयं (पिता) जिम्मेदार रहूँगा।

हस्ताक्षर पिता